

Format for filing a complaint with the NHRC
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराने का प्रपत्र

A. COMPLAINANT'S DETAILS

शिकायतकर्ता का विवरण

1. Name _____
नाम
2. Sex _____
लिंग _____
पुरुष/महिला
3. Full Address _____
पूरा पता
4. District _____
जिला
5. State _____
राज्य
6. Pin Code _____
पिन कोड
7. Mobile _____
मोबाइल
8. Email-id _____
ईमेल आईडी

B. INCIDENT DETAILS

घटना का विवरण

1. Incident Place (Village/Town/City) _____
घटनास्थल (गाँव / शहर / नगर)
2. State _____
राज्य
3. District _____
जिला
4. Date of Incident _____
घटना की तिथि

C. VICTIM'S DETAILS

पीड़ित का विवरण

1. Name of the Victim _____
पीड़ित का नाम
2. No. of victims _____
पीड़ितों की संख्या
3. Full Address _____
पूरा पता
4. District _____
जिला
5. State _____
राज्य

6. Pin Code _____
पिन कोड
7. Religion _____
धर्म
8. Caste (SC/ST/OBC/General) _____
जाति (अनु.जा./अनु.जनजा./अ.पि.वर्ग/सामान्य)
9. Sex _____
लिंग
10. Age _____
आयु
11. Whether Disabled Person _____
क्या विकलांग व्यक्ति है ?

D. Brief Summary of facts/allegations of human rights involved
मानव अधिकारों से जुड़े होने के तथ्य / आरोपों का संक्षिप्त विवरण

E. Whether complaint is against Members of Armed Forces / Para-Military
क्या शिकायत सशस्त्र बलों / अर्द्ध सैन्य बलों के विरुद्ध है

YES / NO _____
हां / नहीं

F. Whether similar complaint has been filed before any Court / State Human Rights Commission
क्या इस प्रकार की शिकायत किसी न्यायालय / राज्य मानव अधिकार आयोग के समक्ष दर्ज कराई गई है

G. Name, designation & address of the public servant against whom complaint is being made
उस लोक सेवक का नाम, पदनाम एवं पता जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है

H. Name, designation & address of the authority / officials to whom the public servant is answerable
उस प्राधिकरण / अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता जिसको लोक सेवक जवाबदेह है

I. Prayer / Relief if any, Sought
प्रार्थना / राहत, यदि कोई मांगी गई है

(Signature of Complainant)
(शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर)

Guidelines on how to file-complaint with the NHRC
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराने संबंधी दिशा-निर्देश

1. Complaint may be made to the Commission by the victim or any other person on his behalf.
आयोग में पीड़ित अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
2. Complaint should be in writing either in English or Hindi or in any other language included in the eighth schedule of the Constitution. Only one set of complaint needs to be submitted to the Commission.
शिकायत लिखित में अंग्रेजी अथवा हिन्दी में अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी अन्य भाषा में होनी चाहिए। आयोग में शिकायत का केवल एक सेट ही जमा कराएं।
3. Complaint may be sent either by Post or Faxed at Nos. 91-11- 24651332 or through e-mail cr.nhrc@nic.in
शिकायत डाक द्वारा अथवा 91-11-24651332 नम्बर पर फैंक्स द्वारा अथवा cr.nhrc@nic.in पर ई-मेल द्वारा भेजी जा सकती है।
4. No fee is chargeable on such complaints.
इन शिकायतों पर कोई शुल्क देय नहीं है।
5. The complaint shall disclose (i) violation of human rights or abetment thereof or; (ii) negligence in the prevention of such violations, by a public servant.
शिकायत में वर्णन होना चाहिए (i) मानव अधिकारों के उल्लंघन अथवा उनकी अवहेलना (ii) लोक सेवक द्वारा इस प्रकार के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही।
6. The jurisdiction of the Commission is restricted to the violation of human rights alleged to have been committed within one year of the receipt of complaint by the Commission.
आयोग का क्षेत्राधिकार मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन के एक वर्ष के भीतर की अवधि में प्राप्त शिकायत तक प्रतिबंधित है।
7. Documents, if any enclosed in support of the allegations in the complaint must be legible.
शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में यदि कोई दस्तावेज संलग्न किए गए हों, तो वे पठनीय होने चाहिए।
8. Name of the victim, his/ her age, sex, religion/ caste, State and District to which the incident relates, incident date etc. should invariably be mentioned in the complaint.
शिकायत में निरपवाद रूप से पीड़ित का नाम, उसकी आयु, लिंग, धर्म, जाति, जिस राज्य एवं जिले में घटना घटित हुई हो, घटना की तिथि आदि का उल्लेख होना चाहिए।
9. Please submit the complaint preferably in the enclosed format.
कृपया संलग्न प्रपत्र पर शिकायत दर्ज कराएं।
10. Following types of Complaint(s) are not ordinarily entertainable:

निम्नलिखित प्रकार की शिकायतें सामान्यतः विचारणीय नहीं हैं -

- i. Illegible
अपठनीय
 - ii. Vague, anonymous or pseudonymous;
अस्पष्ट, अनाम अथवा छद्मनाम
 - iii. Trivial or frivolous in nature;
तुच्छ प्रकृति की
 - iv. The matters which are pending before a State Human Rights Commission or any other Commission;
वे मामले जो राज्य मानव अधिकार आयोग अथवा किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हैं
 - v. Any matter after the expiry of one year from the date on which the act constituting violation of human rights is alleged to have been committed;
कोई भी मामला जो अधिनियम के अनुसार मानव अधिकारों के उल्लंघन के घटित होने के आरोपों से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद का हो
 - vi. Allegation is not against any public servant;
आरोप किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं हों
 - vii. The issue raised relates to civil dispute, such property rights, contractual obligations, etc;
उठाया गया विषय सिविल विवाद जैसे संपत्ति का अधिकार, अनुबंधात्मक दायित्व आदि से संबंधित हों
 - viii. The issue raised relates to service matters;
उठाया गया विषय सेवा मामले से संबंधित हो
 - ix. The issue raised relates to labour/industrial disputes;
उठाया गया मामला श्रम/उद्योग विवाद से संबंधित हो
 - x. Allegations do not make out any specific violation of human rights;
आरोपों से किसी विशेष मानव अधिकार उल्लंघन का पता न चलता हो
 - xi. The matter is sub-judice before a Court/ Tribunal;
मामला न्यायालय/अधिकरण के समक्ष न्यायाधीन हो
 - xii. The matter is covered by judicial verdict/decision of the Commission.
मामला आयोग के न्यायिक फैसले/निर्णय द्वारा प्रतिपादित हो।
11. As far as possible complainants are encouraged to make use of the format given above to file their complaints. The guidelines indicate the kind of information, which would facilitate in processing a complaint.
जहां तक संभव हो शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायतें दर्ज करने के लिए उपरोक्त प्रपत्र का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दिशा-निर्देश ऐसी सूचना का संकेत देते हैं, जो शिकायत को संसाधित करने में सहायक हो।